अनवान गुमानसिंह बनाम प्रवीण कंवर

मुकदमा नंबर 56 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-04-25	पत्रावली पेश हुई।	

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 868/661 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 873/661,872/661,867/661 व 871/661 में से रास्ता चाहा गया है जबकि तहसीलदार समदडी मे मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 635 व 667 पर बनी सी.सी.रोड से होता हुआ खसरा संख्या 869/661 व 870/661 की माठ के सहारे–सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है प्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते लेना नहीं चाहते है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित अनुतोष अनुसार ही रास्ता घोषित करवाना चाहते है। अतः तहसीलदार समदडी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में चाहे गये अनुतोष के बारे में तहसीलदार समदडी द्वारा तहसीलदार समदडी द्वारा स्वंय मौका देखा गया था मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी गुमानसिंह के हस्ताक्षर भी है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता ही वादग्रस्त आराजी में आवगमन का लघुत्तम व निकटतम रास्ता है अतः तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्य का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया।

बाद अवलोकन तथ्य सामने आया रा.का.अ. की धारा 251क के बिन्दू संख्या ख के उप बिन्दू संख्या (ii) में अंकन है कि अन्य खातेदार की जोत में से होकर ,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया हो तो ही प्रार्थीगण नये रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के आवगमन हेतु तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में दर्शित [illegible] आवागमन हेतु सुलभ,निकटतम व लघुत्तम रास्ता बताया [illegible] परन्तु उक्त रास्ते स्वीकार नहीं किये जाकर प्रार्थीगण ने मौखिक आपत्ति जाहिर कर माफिक अनुतोष रास्ता चाहा है।

लिहाजा प्रार्थीगण की मौखिक आपत्ति स्वीकार य[illegible] नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:04:41 IST
Reason: SelfAttested